



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 12 मार्च, 1983

फल्गुन 21, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 956/सत्रह वि०-1-1(क)-6-83

लखनऊ, 12 मार्च, 1983

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 11 मार्च, 1983 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह समझा जायगा कि यह अधिनियम 1 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 29
सन् 1974 द्वारा
यथा पुनः अधि-
नियमित राष्ट्रपति
अधिनियम संख्या
10 सन् 1973
की धारा 50 का
संशोधन ।

निरसन और अप-
वाद

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे ।

3--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
गंगा वरुण सिंह,
सचिव ।

No. 956(2)/XVII-V-1-1(Ka)-6-83

Dated Lucknow, March 12, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1983), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 1983:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)
ACT, 1983

(U. P. ACT No. 6 OF 1983)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

"AN
ACT

furtherto amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title and
commencement.

Amendment of
section 50, of
President's Act
no. 10 of 1973,
as re-enacted by
U.P. Act no. 29
of 1974.

Repeal and
savings.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 1983.

2. In section 50 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973,—
(a) in sub-section (1-A), for the word and figures "December 31, 1982" the word and figures "December 31, 1984" shall be substituted ; and

(b) in sub-section (2), for the word and figures "December 31, 1982" the word and figures "December 31, 1984" shall be substituted.

3. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1983 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the enactment, referred to in section 2, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of that Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.